

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

FORM NO. III


फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम उपखण्ड अधिकारी
सुंगला सुंगला
शंभरलाल बनाम रमेश चन्द
 किस्म मुकदमा वाढपत्र च्यास 88, 188 प्रजा. 6/2020 सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30/24	पत्रावली पेश डी। वकील वादी उपरिष्ठा। बस हे अक्सर चाल जो दिना 30/24 पत्रावली वादी बस मे दिनांक 13/24 मे पेश बे।	
13/24	पत्रावली पेश डी। वकील वादी उपरिष्ठा। वकील वादी ने बस मे कथन किया गया कि वाढपत्र अनुसार वादीगण को तथा परिवादी सेरवा 22चे अंशक को आरजी नम्बर 3810/155 रमबा 3.550-8. भूमि को 1/3 एक हिस्सा का खातेदर बोधि करने की डिकी का आदेश जारी किया जावे तथा परिवादी सेरवा 1 के लगायत 10रक का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हयमे जाने का आदेश जारी करे। इसपत्रावली का एवं सेलम्व राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया	



बाद अतल्लोकन पश्चात् बारीगण का
वाढपत्र को स्वीकार किया जाता है।
तथा गौजा मंगलवाड के रवाहा संख्या
११५ में वर्णित धाराजी नम्बर ३११/५५
रकबा ३.५५०० ई. अंगी में बारीगण तथा
उहिवादी संख्या २२ से २५ तक को १/३६६
खिरा का खसदर घोषित किया जाता
है। तथा उहिवादी संख्या १ से लगायत १०
तक का नाम दर्ज होने का आदेश
दिया जाता है। सिविय मुनाया गण
इसी अनुसार डिक्री पत्र में दर्ज है।
पत्रावली फेरल सुगाट देना-गवा
से भग दे।


१३/११/२५